

राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम Major Programmes under Central Assistance for State Plans

सरकार ने "सहकारी संघवाद" की भावना से राज्यों को केन्द्रीय करों का 42% अंतरण करने की चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यथापरिकल्पित वित्तीय अंतरण में मिश्रित बदलाव हासिल करने के लिए राज्यों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता पुनर्संरचित की गई है

केन्द्रीय वित्त साधनों पर दबाव के बावजूद सरकार ने गरीब और सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम अपरिवर्तित तरीके से चलाने का निर्णय लिया है। इसी तरह केंद्र की कानूनी/संवैधानिक बाध्यता और माननीय संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा के लिए उपलब्ध विशेषाधिकार पूर्णतया संरक्षित हैं।

राज्यों के पास उपलब्ध वर्धित संसाधनों के कारण कुछ कार्यक्रम परिवर्तित बंटवारा पद्धति से चलाए जाएंगे। कुछ कार्यक्रमों के संबंध में ही केन्द्रीय सहायता अलग की जाएगी। ये कार्यक्रम या तो अंतरण का हिस्सा बने हैं अथवा राज्य इन कार्यक्रमों को जारी (अथवा नहीं) रखेंगे।

राज्यों की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम निम्न सूची के अनुसार हैं:-

In the spirit of "Cooperative Federalism" Government has accepted the recommendations of Fourteenth Finance Commission to develop 42% of Union Taxes to States. To achieve the compositional shift in fiscal transfer as envisaged by Fourteenth Finance Commission, Central Assistance to State Plan has been restructured.

Despite pressure on Union Finances, Government has decided to run welfare programmes for poor and socially disadvantaged in an unchanged manner. Similarly legal/constitutional obligation of Union and privilege available to Hon'ble Member's of Parliament for serving their constituents are fully protected.

On account of enhanced resources available with state some programmes will be run with a changed sharing pattern. Only in respect of some programmes, Union support will be delinked. These Programmes have either become a part of devolution or States will continue (or not) with these programmes.

Major programmes under Central assistance to State Plan are as given in the list below: -

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
क.	केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त करने वाली स्कीम जिसमें से मुख्य मदें		
	(A) Schemes to be fully supported by Union Government of which major items		
1	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	11900.00	12500.00
2	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3200.00	3500.00
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9959.59	10100.00
4	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सड़कें और पुल	2607.06	2868.00
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	3950.00	3950.00
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से अनुदान	704.50	970.00
7	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों	549.00	740.00
8	बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए विशेष पैकेज	30.00	50.00
9	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	7187.95	9000.00
10	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत स्कीमों हेतु सहायता	1134.68	1367.00

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget
11	जनजाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1040.03	1250.00
12	अनु. जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीमें	1065.85	1136.84
13	प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्तपोषित स्कीमें	22249.26	27575.00
14	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मगनरेगा)	32456.00	33700.00
15	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	766.46	1232.00
16	एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम	3286.54	3291.00
17	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	33.00	200.00
18	शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास को सहायता	919.13	1012.50
19	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	800.00	990.00
20	प्रोजेक्ट टाइगर	161.02	136.46
21	प्रोजेक्ट एलिफैन्ट	14.00	13.70
22	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	358.40	400.00
23	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम	539.74	1290.52

(ख) परिवर्तित साझा पैटर्न से चलाई जाने वाली स्कीम

(इन स्कीमों के संबंध में केंद्र: राज्य निधिपोषण पद्धति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के लिए कुल संसाधनों में कोई परिवर्तन न हो, चौदहवें वित्त आयोग पंचाट को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाएगा। अतः कार्यक्रम के लिए कुल वित्त पोषण में कोई बदलाव नहीं होगा।)

(B) Schemes to be run with the Changed Sharing Pattern

(In respect of these schemes Centre: States funding pattern will undergo a change in view of FFC award to ensure that the total resources for the programme are not changed. Thus total finances for the programme will not undergo change.)

	<i>जिसमें से मुख्य मदें</i>	<i>of which major items</i>	
1	कृषोन्नति योजना (राज्य आयोजना)	14173.81	9000.00
	<i>जिसमें</i>	<i>of which</i>	
	क राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	a Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	8444.00 4500.00
	ख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	b National Food Security Mission	1830.00 1300.00
	ज कृषि विकास उप-मिशन	c Sub-Mission on Agriculture Extension	470.08 450.00
2	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	5623.26	5300.00
	<i>जिसमें</i>	<i>of which</i>	
	क प्रति बूंद अधिक फसल (सूक्ष्म सिंचाई)	a Per Drop More Crop (Micro Irrigation)	30.00 1800.00
	ख प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक)	b Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (Watershed Component) erstwhile Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	2312.70 1500.00
	ग भूतपूर्व एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	c Accelerated Irrigation Benifit and Flood Managment Programme	3276.56 1000.00
	घ त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	d Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana	4.00 1000.00

(करोड़ रुपए) (In crore of Rupees)

		2014-2015 संशोधित Revised	2015-2016 बजट Budget		
3	अम्ब्रेला कार्यक्रम "स्वच्छ भारत अभियान" (इसमें स्वच्छता और पेयजल शामिल हैं)	3	Umbrella programme "Swaccha Bharat Abhiyaan" (includes Sanitation and Drinking Water)	11938.50	6000.00
4	वन रोपण और वन्य प्राणी बसाव विकास	4	Afforestation and development of Wildlife Habitats	545.62	299.39
5	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	5	National AIDS and STD Control Programme	890.89	500.00
6	आयुष का संवर्धन	6	Promotion of AYUSH	117.36	300.00
7	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7	National Health Mission	17433.99	18000.00
8	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	8	National Livelihoods Mission	2034.40	1800.00
9	माध्यमिक शिक्षा	9	Secondary Education	3432.39	3493.00
10	उच्चतर शिक्षा	10	Higher Education	1411.42	1632.77
11	सभी के लिए आवास	11	Housing For All	12393.87	14000.00
12	शहरी पुनरुद्धार मिशन-500 आवास और 100 स्मार्ट शहरो का विकास मिशन	12	Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations and Mission for Development of 100 Smart Cities	2431.10	6000.00
13	एकीकृत बाल विकास सेवा	13	Integrated Child Development Service	16316.05	8000.00

(ग) केन्द्रीय सहायता से असंबद्ध स्कीमों

(ये कार्यक्रम इसके पश्चात् राज्यों द्वारा उनके वर्धित संसाधनों से चलाए जाएंगे अथवा चौदहवें वित्त आयोग पंचाट में शामिल कर दिए गए हैं)।

(C) Schemes delinked from Union Support

(These programmes will hence forth be either run by the States from their enhanced resources or they have been subsumed in the FFC award).

1.	राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	1	National e-Governance Action Plan (NeGAP)	464.00	...
2	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	2	National Scheme for Modernisation of Police and Other Forces	1433.20	...
3	उत्कृष्टता के प्रतीकस्वरूप ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना हेतु स्कीम	3	Scheme for setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence	1020.99	1.00
4	निर्यात अवसंरचना विकसित करने तथा अन्य संबद्ध कार्यक्रमों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता स्कीम	4	Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure and other allied activities	564.84	...
5	पर्यटन अवसंरचना	5	Tourist Infrastructure	495.00	...
6	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि-राज्य घटक	6	Backward Regions Grant Fund-State Component	3450.00	...
7	सामान्य केन्द्रीय सहायता	7	Normal Central Assistance	26814.00	...
8	अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	8	Other Additional Central Assistance	1780.00	...
9	विशेष केन्द्रीय सहायता	9	Special Central Assistance	10150.00	...
10	विशेष केन्द्रीय सहायता पहाड़ी क्षेत्र	10	Special Central Assistance-Hill Areas	220.00	...
11	विशेष आयोजना सहायता	11	Special Plan Assistance	7666.00	...
12	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	12	Backward Regions Grants Fund	2837.00	...